

**प्रेस नोट**  
**सराहनीय कार्य जनपद बागपत**

**दिनांक 20.11.2020**

- थाना छपरौली पुलिस द्वारा षस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद।

---

**थाना छपरौली**—पुलिस द्वारा दिनांक 19.11.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैंकिंग के दौरान अभियुक्त अजय उर्फ काला उर्फ भगत पुत्र हरबीर निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक लूटेरा गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 2000 रुपये बरामद।

---

**थाना कोतवाली बागपत**—पुलिस द्वारा दिनांक 19.11.2020 को मुखबिर की सूचना पर सूजरा निरोजपुर रोड से एक लूटेरा लव पुत्र धीरज निवासी निरोजपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0सं0 454/2020 धारा 392, 411 भादवि में लूट के 2000 रुपये बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- थाना खेकडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

---

**थाना खेकडा**—पुलिस द्वारा दिनांक 19.11.2020 को अभियुक्त 1—आकाष पुत्र महेन्द्र 2—मोनू पुत्र राजपाल निवासी गण ग्राम फकरपुर थाना खेकडा 3—प्रदीप उर्फ कल्लू पुत्र रामकुमार 4—प्रिंस पुत्र जयकिषन निवासी गण परमहंस विहार कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

- थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक छूरी नाजायज बरामद।

---

**थाना कोतवाली बागपत**— पुलिस द्वारा आज दिनांक 20.11.2020 को मु0अ0सं0 860/2020 धारा 307 भादवि में वांछित अभियुक्त साबू उर्फ साबूदीन पुत्र बाबूदीन निवासी काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक छूरी नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

---

**थाना बडौत-** पुलिस द्वारा आज दिनांक 20.11.2020 को मु0अ0सं0 927/2020 धारा 376, 511, 506 भादवि व 5एम/6 पोक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त अंकुर उर्फ गोलू पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम छछरपुर थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडौत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।